सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1085 राँची, सोमवार, 10 दिसम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

20 नवम्बर, 2018

विषय:-राज्य के अनुसूचित/गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्यस्तरीय वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी अधिसूचना संख्या-5938, दिनांक 14 जुलाई, 2016 एवं संकल्प सं०-3854, दिनांक 1 जून, 2018 में संशोधन ।

संख्या०-14/स्थानीयता नीति-14-04/2018 का.-8468--कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०-5938, दिनांक 14 जुलाई, 2016 द्वारा राज्य के 13 अनुसूचित जिलों तथा संकल्प सं०-3854, दिनांक 1 जून, 2018 द्वारा राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में जिला स्तर के वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु, अगले 10 वर्षों तक, मात्र संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माना गया है। साथ ही संकल्प सं०-3854, दिनांक 1 जून, 2018 द्वारा झारखण्ड राज्य में वर्ग 3 एवं वर्ग 4 में सभी राज्य स्तरीय पदों पर भविष्य में होने वाली नियुक्तियों हेतु झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को ही पात्र माने जाने का प्रावधान किया गया है ।

2. कार्मिक विभागीय संकल्प सं०-5216, दिनांक 30 अगस्त, 2010 द्वारा राज्य के सरकारी सेवाओं/पदों को समूह ''क, ख, ग एवं घ'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

3. उपर्युक्त कंडिका 1 एवं 2 में वर्णित स्थितियों में समूह 'ख', समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों की वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों से समकक्षता निर्धारित नहीं होने के कारण नियुक्ति संबंधी कार्रवाई में कठिनाई उत्पन्न हो रही है । तदनुसार यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

अतः राज्यहित में रिक्त सरकारी पदों पर नियुक्ति सुगमता पूर्वक सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि विभागीय अधिसूचना सं०-5938, दिनांक 14 जुलाई, 2016 एवं संकल्प सं०-3854, दिनांक 1 जून, 2018 में जहाँ कहीं भी ''वर्ग 3 एवं वर्ग 4'' अथवा ''तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी'' शब्द समूह का प्रयोग किया गया है उसे '' 'समूह ख के अराजपत्रित तथा समूह ग' एवं 'समूह घ' '' से प्रतिस्थापित किया जाय ।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-5938, दिनांक 14 जुलाई, 2016 एवं संकल्प सं०-3854, दिनांक 1 जून, 2018 के सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 1085 -- 50